



बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना-01



आम सूचना

श्रम संसाधन विभाग सम्प्रति युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2818 दिनांक-14.12.2009 के आलोक में नवसृजित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राघोपुर (वैशाली) एवं नवसृजित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोकामा के भवन निर्माण हेतु कोई व्यक्ति या संस्था कम से कम 03 (तीन) एकड़ विवाद रहित निजी भूमि स्वेच्छा से निःशुल्क दान करती है, तो वैसे इच्छुक व्यक्ति/संस्थाओं को निःशुल्क भूमि दान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

निःशुल्क भूमि दान करने की शर्तें:-

- यदि कोई व्यक्ति/संस्थान उक्त प्रयोजन हेतु न्यूनतम 03 (तीन) एकड़ भूमि निःशुल्क दान करता है, तो निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2818 दिनांक-14.12.2009 के आलोक में भूमिदाता के इच्छानुसार संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण किया जायेगा।

- जिस व्यक्ति के नाम पर संस्थान के नामकरण का प्रस्ताव दिया गया हो तो उसका चरित्र एवं आचरण उत्तम एवं उसके विरुद्ध कोई गंभीर आपराधिक/नैतिक आरोप या मामला लंबित/प्रतिकूल तथ्य उपलब्ध न हो।

- उक्त प्रयोजन हेतु न्यूनतम 03 (तीन) एकड़ भूमि निःशुल्क दान करना होगा।

- प्रस्तावित उक्त भूमि पूर्णतः विवादरहित, अतिक्रमणमुक्त, सभी प्रकार के भार/दावों से मुक्त एवं उसका स्वामित्व स्पष्ट एवं निर्विवाद होना चाहिए।

- भूमिदाता उक्त भूमि को संबंधित विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रयोजनार्थ हेतु महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम से विधिवत हस्तांतरित/दान करेंगे तथा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया एवं दस्तावेजों को पूर्ण करेंगे।

- भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः निःशुल्क एवं बिना किसी प्रतिफल के किया जाएगा तथा भूमि पर किसी प्रकार का ऋण, बंधक, मुकदमा, अतिक्रमण अथवा अन्य कानूनी दावा नहीं होना चाहिए।

- भूमि का उपयोग केवल संबंधित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन एवं उससे संबंधित आवश्यक शैक्षणिक/प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण एवं संस्थान के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

- संस्थान के नामकरण का निर्णय सक्षम प्राधिकारी/राज्य सरकार की स्वीकृति तथा प्रचलित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा। मात्र भूमि दान कराने से नामकरण का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

- भरा हुआ आवेदन-पत्र स्पीड-पोस्ट/हाथों-हाथ (निजी भूमि का अद्यतन Land Possession Certificate (LPC), भू-लगान रसीद, खतियान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ) निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना, नियोजन भवन चतुर्थ तल, ब्लॉक-'बी' (आयकर गोलम्बर के निकट) नेहरू, पथ, पटना, पिन कोड-800001 के कार्यालय में जमा करना है।

- उपर्युक्त सुविधा के अतिरिक्त भूमिदाता को अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगा।


निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

आवेदन पत्र का प्रपत्र

दानकर्ता / संस्था का नाम:—.....

पिता/पति का नाम:—.....

पूरा पता:—.....

ग्राम:—.....

थाना:—.....

अंचल:—.....

जिला:—.....

खाता संख्या:—.....

खेसरा संख्या:—.....

कुल रकबा:—.....

दान की जाने वाली भूमि का रकबा:—.....

भूमि की प्रकृति:—.....

भूमि पर किसी प्रकार का विवाद/बंधक:— हाँ/नहीं

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त भूमि मेरे स्वामित्व/अधिकार में है तथा उक्त भूमि को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण एवं संबंधित शैक्षणिक कार्यों के लिए निःशुल्क दान करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भूमि दान की आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया एवं दस्तावेज संबंधी कार्रवाई के लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

स्थान:.....

दिनांक:—.....

मो० नंबर:—.....

आवेदक का हस्ताक्षर